प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 955 सन 2021
अनवान :–

1. बोगी पुत्र मनोहरी पत्नी होशियारी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मनोहरी पत्नी होशियारसिह जाति जाट निवासी धोलिया तहसील राजगढ जिला चरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 14.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 110 की कुल 2.2220हैक में से 78/101 हिस्सा, व खाता संख्या 153 की 2.2220हैक में से 55/101 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि मनोहरी पत्नी होशियारसिह के नाम से दर्ज है जो वादीया की माता है वादीया की शामि हो चुकी है वादीया की माता ने वादीया की शादी में वाद भूमि भरण भोषण हेतु दी गई थी जो वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीया की माता के नाम से दर्ज है जिससे वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरानत प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके नाम दर्ज है जिसने अपने पुत्री वादीया की शादि में उसके भरण पोषण हेतु वाद भूमि वादीया को शादी में दी गई थी जो वादीया के कब्जा काश्त में है जिसे वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जो शामिल मिसल हैएवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 110 की कुल 2.2220हैक में से 78/101 हिस्सा, व खाता संख्या 153 की 2.2220हैक में से 55/101 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादीया का कथन है वाद भूमि उसकी माता के नाम से दर्ज है वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया की शादी में वादीया के भरण पोषण हेतु दी गई थी जिसे अपने नाम से दर्ज करवाना चाहती है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीया को वाद भूमि शादी में दी हुई जिसे वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल/सहमति पेश की जा चुकी है जो शामिल मिसल है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 110 की कुल 2.2220हैक में से 78/101 हिस्सा, व खाता संख्या 153 की 2.2220हैक में से 55/101 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...सोनडी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बोगा पुत्र मनोहरी पत्नी होशियारी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ जिला चुरू।

वादी

बनाम

1 मनोहरी पत्नी होशियारसिह जाति जाट निवासी धोलिया तहसील राजगढ जिला चरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 955 **सन 2021 निर्णय दिनांक– 14.10.2021**

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिग्रि किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 110 की कुल 2.2220हैक में से 78/101 हिस्सा, व खाता संख्या 153 की 2.2220हैक में से 55/101 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिग्रि आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...सोनडी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते